

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति सामूहिक औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

- वर्ष 2007–08 से प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित
- रोजगार सृजन हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के चयनित लाभार्थियों का कौशल प्रशिक्षण ओर उन्नयन हेतु सामूहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रशिक्षण प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन, कम्प्यूटर, टेलरिंग, व्यूटीशियन एवं फैशन डिजाइनिंग आदि वर्तमान मांग आधारित ट्रेडों में
- प्रशिक्षणार्थियों को 500.00 रु0 के टूल किट के साथ—साथ रु0 5000.00 का स्टाइपेण्ड अनुमन्य
- तकनीकि टेड में कक्षा 8 पास अनिवार्य एवं गैर तकनीकि में मात्र लिखने पढ़ने का ज्ञान
- प्रशिक्षणार्थियों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्यविकास अधिकारी, महाप्रबन्धक, जिला उद्घोग केन्द्र तथा जिले में स्थित सभी राजकीय पालीटेक्निक/आई0टी0आई0 के प्रधानाचार्यों की समिति गठित करके की जाती है।
- एक माह का सैद्धान्तिक प्रशिक्षण एवं तीन माह व्यवहारिक प्रशिक्षण

